छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट– http://samvad.cg.nic.in/ फोन नं. 0771–2512580

क्रमांक– 575/छगसं./प्रकाशन/2024 नवा रायपुर, दिनांक 15/07/2024

वर्ष 2024–26 तक के लिए बसों (सिटी/निजी बस) के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा बसों (सिटी/निजी बस) के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाइन माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	**रूपये 1,180/–(जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)**
अमानत राशि	**रूपये 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)**
प्रि–बिड	**दिनांक 31/07/2024 समय दोपहर 3:00 बजे (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)**
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	**दिनांक 28/08/2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक**
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 28/08/2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक**
निविदा खोलने की तिथि	**दिनांक 28/08/2024 समय 4:00 बजे सायं से**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

वर्ष 2024–26 तक के लिए बसों (सिटी/निजी बस) के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

2. **उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र** :–

   शासन की विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है।

3. **इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें**:–

   निविदाकर्ता फर्मों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है :–

   (1) पैन कार्ड की प्रति।

   (2) Assessment Year 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर रिटर्न की प्रति।

   (3) चार्टड एकाउटेंट से सत्यापित Financial Year 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तीन वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओव्हर राशि रु. 10 लाख यू.डी.आई.एन. अंकित टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

   (4) निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,180/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

   छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	:	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	:	**Central Bank of India**
Branch Name	:	**Civil Line, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	:	**1279040867**
IFSC Code No.	:	**CBIN0282321**

4. फर्मो के पास बसों (सिटी/निजी बस) में विज्ञापन करने की अनुमति नगरपालिक निगम/अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोसायटी से होना अनिवार्य है।

5. निजी वाहन मालिकों के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट जमा करना अनिवार्य होगा।

6. निजी बस मालिकों के पास स्वयं के स्वामित्व में कम से कम 10 बस होना अनिवार्य हैं एवं रुट चार्ट प्रस्तुत करना होगा। जो बसे अधिकतम दूरी तय करती है उसको कार्यादेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

7. निजी बस संचालकों को विज्ञापन आबंटन होने पर क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय एवं संबंधित कार्यालय नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति एवं तय कर जमा करना अनिवार्य होगा।

8 **छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये फर्म निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे फर्म को निर्धारित प्रारुप में राशि रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची मे नही डाला गया है। शपथ–पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय अपरान्ह् 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जाना है।**

9 **छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।**

10. निविदाकार द्वारा बसों में विज्ञापन हेतु NGT(**National Green Tribunal**) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई भी प्रतिबंधित मटेरियल नहीं उपयोग किया जाना है। यदि बस में विज्ञापन के समय संबंधित एजेन्सी या बस मालिक इस प्रकार के कोई भी शासन द्वारा प्रतिबंधित मटेरियल उपयोग किये जाने पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निविदा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

11. निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए है।

12. दरें आमंत्रित करने क पश्चात् स्वीकृत दरों वाली एजेन्सियों का पैनल बनाई जायेगी। बस के विज्ञापन कार्य पैनल में शामिल बस मालिक या एजेन्सियों से न्यूनतम दर पर कराया जाएगा। यदि कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति का हो या न्यूनतम दर वाली एजेन्सी कार्य न कर पाने की स्थिति में हो तो पैनल में शामिल अन्य एजेन्सी या बस मालिक से उनकी क्षमता गुणवत्ता तथा कार्य स्थिति के अनुसार न्यूनतम दर पर कार्य कराया जा सकेगा।

13. समय सीमा व वांछित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संवाद गठित समिति या संवाद /विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से परीक्षण कराया जायेगा। कार्य वांछित गुणवत्ता के अनुरुप नहीं होने कमी का आंकलन कर उसके अनुरुप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जावेगा। गुणवत्ता या कार्य में गंभीर खामियां हाने पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं L1 एजेंसी द्वारा कार्य नहीं करने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी ओर संबंधित एजेन्सी को आगामी 1वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।

14. दो माह का कार्यादेश पर एक माह की दर से दो माह का अनुपातिक गणना कर भुगतान किया जायेगा तथा चार एवं पांच माह का कार्यादेश पर तीन माह के लिये प्राप्त दर में अनुपातिक दर पर गणना कर चार एवं पांच माह का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार सात माह एवं अधिक के लिये कार्यादेश प्राप्त होने पर छः माह के लिये प्राप्त दर पर गणना कर अनुपातिक रुप से भुगतान किया जायेगा।

15. कार्य पूरा करने के पश्चात् संबंधित विभाग से संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण–पत्र बसों के विवरण के साथ लगाए गए विज्ञापन की सूची एवं छायाप्रति (2 –2 प्रतियां में) के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग से निरीक्षण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

16. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगी इसके पश्चात् अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।

17. निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

18. एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।

19. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा |

20. तकनिकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा पंजीकृत करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज/जानकारी गलत या जाली शाबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा

21. **बिन्दु क्र . 8 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नही होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नही होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।**

22. इम्पैनल्ड फर्मों को स्वयं के स्वामित्व का बस की आर सी बुक की प्रति, परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट एवं नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति पत्र छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा। जिससे बसों की सूची में शामिल किया जा सके। छत्तीगसढ संवाद में लिस्टेड स्वयं की स्वामित्व वाले बसों में ही शासन की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

23. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/संबंधित कार्यालय नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति की वैध अवधि तक ही कार्यादेश जारी किया जाएगा। निर्धारित अवधि पश्चात् नवीनीकरण होने पर छत्तीसगढ़ संवाद में संबंधित वैधता दस्तावेज उपलब्ध कराने की स्थिति में अनुबंधित अवधि तक प्रचार–प्रसार कराया जा सकेगा।

24. स्वयं के स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य के स्वामित्व के बसों में प्रचार–प्रसार का कार्यादेश जारी नही किया जावेगा अथवा किसी प्रकार का ज्वांइटवेंचर/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।

25. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

25. **<u>आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता)</u> :–किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।**

26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
वेबसाइट– http://samvad.cg.nic.in/ फोन नं. 0771–2512580

बसों (सिटी/निजी बस)के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव :–

क्र.	माध्यम	अवधि	दर प्रति वर्गफीट प्रति माह प्रति बस (प्रिंट मटेरियल एवं माउटिंग सहित) दर	डिजाईन परिवर्तन होने पर अतिरिक्त प्रति वर्गफीट की दर (प्रिंट मटेरियल एवं माउटिंग सहित)
1	बस–सिटी बस	7 दिन		
		15 दिन		
		1 माह		
		3 माह		
		6 माह		
2	बस– निजी बस	7 दिन		
		15 दिन		
		1 माह		
		3 माह		
		6 माह		

टीप : उपरोक्त दरों के अलावा शासन द्वारा लागू जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

स्थान ———————

दिनांक ———————

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

सीईल मुद्रा

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं–––––––––––––––––––संस्था प्रमुख निवासी –––––––––––––––––––––––छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ––––––––––––––––––––––– किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान –––––––––––––

दिनांक ––––––––––––

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर